

पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर, 10 अक्टूबर को काँकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी



एफआईआर में कोई नामजद नहीं...

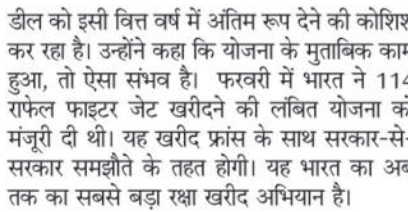
प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 का उल्लंघन किया...

हजार लोगों को हिरासत में लिया। बाद में इनमें से कई लोगों को छोड़ दिया गया।

इन लोगों को लिया गया था हिरासत में

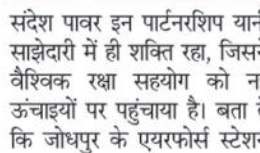
होसासत में लिप्युक्त लोगों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज, आतिश्री, संजय सिंह, कुलदीप कुमार, जर्नेल सिंह और संजोव झा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एम्प्लोयर्स यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेत्रा बोस, नारायण समाज कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजस्वसा संसदधी पी. संदेश, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय नाथु चिब, एनएसएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए. ए. रहीम शामिल थे।

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर 2021। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि तेजस लड़ाकू विमानों को शामिल करने में हो रही देरी से भारतीय वायुसेना को नुकसान हो रहा है। मौजूद हालात में सुस्था चीनीजहाज से निपटने के लिए खाई तक बहुत जरूरी होती जा रही है और वायुसेना के पास फाइटर जेट स्क्वाडन की संख्या कम हो रही है। एयर चीफ को कहा कि वायुसेना को अगले कुछ सालों में कम से कम 36-40 फाइटर जेट चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि तेजस मार्क-1ए और फ्रांस से लिए जाने वाले राफेल जेटों की आपूर्ति से स्थिति सुधरेगी। वायुसेना इन विमानों को शामिल करना चाहती है, क्योंकि उसके फाइटर जेट स्क्वाडन की संख्या घटकर 29 रह गई है। वायुसेना के फाइटर स्क्वाडन की आधिकारिक मंजूर संख्या 42 है। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि भारत मर्क-गोला फाइटर एयरक्राफ्ट



जोधपुर में एक साथ उड़े कई देशों के लड़ाकू विमान
आठ देशों ने एकजुटता का दिया संदेश, 12 अवतूबर तक चलेगा तारंग शक्ति युद्धाभ्यास

जोधपुर, 03 अक्टूबर 2026।
जोधपुर में चल रहे तरंग शक्तिविराट में 2026 युद्धाभ्यास के दौरान आसमान में अनोखा नजारा देखनेवाले लोगों को मिला। अभ्यास में भाग ले रहे हेलीकॉप्टर सभी मित्र राष्ट्रों के लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट ने एक साझा फॉर्मेशन बनाया। एक एकतरफा उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के अनुसार, यह संयुक्तता और फॉर्मेशन विभिन्न देशों के आपसी विश्वास, सटीकता और आपसी संस्था है। इस आयोजन का मुख्य



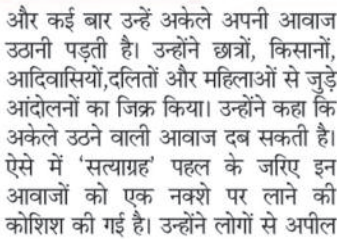
इस अभ्यास में मेजबान
भारत के साथ-साथ अमेरिका
फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त
अरब अमीरात, श्रीलंका और
बांग्लादेश जैसे मित्र राष्ट्रों के
वायुसेनाएं अपने लड़ाकू विमानों
और सैन्य कर्मियों के साथ सीधे
भाग ले रही हैं, जबकि 30 से
ज्यादा देश पर्यवेक्षक के रूप में
शामिल हुए हैं।

हैदराबाद, 03 अक्टूबर 2026। हैदराबाद में आर्मी फसिलिटि से
हथियार चोरी के मामले में शनिवार को 3 सेना कर्मियों समेत 7 लोगों
को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी मल्काजगिरी पुलिस कमिश्नर ने
सूचित ने दी। इस मामले में मुख्य आरोपी तेलंगाना के नागरकुल जिले
का पूर्व हवलदार उप्पुथल्ला मल्लेश है। उसे 11 सिंतांबर की रात
किसी गया था। मल्लेश पर 30 और 31 अगस्त की दरमियां की गत
बोलागाम में कोटे और बटालियन मैगजिन AK-203 असॉल्ट राइफल
और गोलीयां चोरी करने का आरोप है। चोरी का सामान नागरकुल के
अचामेट में उससे पकटे के पर छिपाया गया था। पुलिस ने बताया
चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। जांच में किसी आतंकी या
या उग्रवादी संगठन से कनेक्शन नहीं मिला। पुलिस ने जांच के दौरान
शनिवार को 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 सेवारत सेना
के जवान, परिचय बंगाल के 2 लोग, मुख्य आरोपी मल्लेश का एक
चचेरा भाई और उसका एक दोस्त शामिल हैं। मल्लेश ने यह वारदात
अन्य आरोपियों की मदद से की थी। पुलिस के मुताबिक, उसका मकसद
बड़ी रकम जुटाने के लिए चोरी और लूट की वारदातें करना था। बी
सूचित ने कहा 'जांच के अनुसार, मल्लेश ने अन्य आरोपियों की मदद से
हथियार चुराए। उसका मकसद बड़ी संघर्ष से जुड़े अपराध करना था।
किसी आतंकी या उग्रवादी संगठन से संबंध नहीं मिला। 'मल्लेश 20
बटालियन, मद्रास रजिमेंट में हवलदार था। अनुशासनहीनता और खराब
सेहत के कारण उसे इसी साल जून में समय से पहले रिटायर कर दिया
गया था। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

संघर्ष जोड़ो,भारत जोड़ो....राहुल गांधी ने लॉन्च किया
'सत्याग्रह' पोर्टल,देशभर के आंदोलनों को जोड़ने की पहल

आपकी कहानी
ये पत्र दिखाई दे

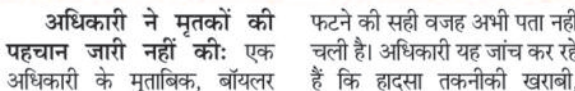
राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में कई लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं



की कि अगर वे किसी अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो अपनी कहानी साझा करें। राहुल गांधी के मुताबिक, कहानी साझा करने में करीब दो मिनट लेंगे। इसके बाद वह कहानी प्लेटफॉर्म के पैप पर दिखाई देंगी और लोग यह भी देख सकेंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में कौन लोग इसी तरह के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

**तिरुपति की फार्मा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 की मौत
10 लोग गंभीर घायल,श्री सिटी में हादसे के बाद रेस्क्र्यू जारी**

तिरुपति, 03 अक्टूबर 2021
 आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री सिटी को एक फार्मा कंपनी में बॉयस्कोप फट गया। हद्दसे में पांच लोगों का मौत हो गई है। वहीं, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। धमाका के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। धमाका इतना तेज था कि बिजुलिंग का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। सवेलवुड मंडल में हद्दसे की सूचना मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी सर्विस टीमें मौके पर पहुंची और राहत-बचाव का काम शुरू किया।



सुरक्षा व्यवस्था में चूक, संचालन संबंधी लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। अधिकारियों ने अभी सभी मृतकों की पहचान और हदसे की पूरी जानकारी जारी नहीं की है। बचाव अभियान और घायलों की मेडिकल जांच पूरी होने के बाद मृतकों और घायलों की संख्या को पुष्टि होने की उम्मीद है। राज्य में यह पिछले एक साल में हुआ एक और बड़ा आंधीगमिक हादसा है। इसी साल जून में विराणाघाटमदन स्टील प्लांट में पिटला हुआ स्टील के जा रहा लैडल टर्न गया था। इससे जा और में 8 कर्मचारियों की मौत हुई थी।

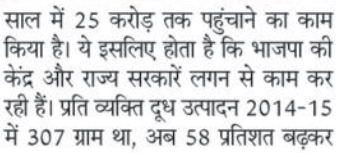
बहराइच के पूर्व चेयरमैन हाजी रेहान, मथुरा के रामवीर चौधरी समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार के तहत बहाइच नागर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन हाजी रेहान खान और मथुरा के वरिष्ठ नेता रामवीर चौधरी (फालेन) समेत कई नेताओं और उनके समर्थकों ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। बहराइच से हाजी रेहान खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय निवास प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता आज



भोपाल, 03 अक्टूबर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त करेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर हुए 11 जिलों के करीब 35 हजार गोपालकों के सम्मेलन में उन्होंने गोशालाओं को 101 करोड़ दिए। उज्जैन में बन रहे 255 करोड़ के डेयरी प्लांट का वचुंअली भूमिपूजन किया।

शाह ने कहा- कांग्रेसी विरोध करते हैं, मैं हिसाब देने आया हूँ: शाह ने कहा- कांग्रेसी हमारा विरोध करते हैं। मैं आज आपको हिसाब देने आया हूँ। आपने 75 साल में देश में दूध का कुल उत्पादन 14 करोड़ 7 लाख टन पहुंचाया था। मोदी जी ने 10



485 ग्राम पर पहुंच गया है। हमारा देश दुनियाभर में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना है। इसमें पहले 5 राज्य-उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र बीजेपी शासित ही हैं।

आपके बेटे-बेटी के लिए नशे की जगह नहीं होगी...

केंद्रीय मंत्री ने कहा- मेरी एक मीटिंग मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ है। मध्यप्रदेश 31 दिसंबर 2029 के पहले नारकोटिक्स से मुक्त हो जाए, इस प्रकार की बारीक प्लानिंग आज करना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश के सारे अभिभावकों को, विशेष कर माताओं को कहने आया हूँ आपके बेटे-बेटी के लिए नशे की जगह ही नहीं होगी, उनका उज्ज्वल भविष्य होने वाला है। हालाँकि, अक्सरों के साथ ये बैक रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के इन अक्सरों के साथ अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मीटिंग कर रहे हैं। शाह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे।

शाह बोले- को-ऑपरेटिव व्यवस्था में दूध की कीमत 55 रुपए मिलेगी

शाह ने कहा...देश आजाद हुआ तब से मांग थी कि भारत सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बने, मगर कांग्रेसियों ने 75 साल तक बनने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री आए, जिन्होंने अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होने वाला है तो मेरे सामने बैठे गोपालकों को होने वाला है।

CMYK

लूट से अपहरण और गांजा तस्करी तक...सूरजपुर पुलिस की तीन बड़ी कार्रवाई

सूरजपुर पुलिस का शिकंजा : लूट का आरोपी पकड़ा, नाबालिग बरामद,गांजा कांड का फरार आरोपी गिरफ्तार

- सीसीटीवी से लेकर इंटरस्टेट ऑपरेशन तक,सूरजपुर पुलिस की तीन बड़ी सफलताएं
- 5 हजार की लूट,नाबालिग का अपहरण और 4.24 करोड़ का गांजा कांड—तीनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई
- ओड़गी से जयनगर तक पुलिस का एवशन,तीन मामलों में आरोपियों पर कसा शिकंजा
- लूट का आरोपी गिरफ्तार,अपहृत नाबालिग बरामद,गांजा कांड में फरार आरोपी कटनी से गिरफ्तार
- सूरजपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई : जंगल की लूट से गांजा तस्करी तक आरोपियों पर शिकंजा

—संवाददाता—
सूरजपुर,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिले में अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बीच तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस को सफलता मिली है,ओड़गी थाना पुलिस ने 5 हजार रुपये की लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस टीम ने बिहार से लेकर हैदराबाद, बैंगलोर और नागपुर तक आरोपी का पीछा कर नाबालिग को बरामद किया,दूसरी ओर जयनगर पुलिस ने 4 करोड़ 24 लाख रुपये कीमत के 848 किलो 650 ग्राम गांजा जन्ती मामले में फरार एक अलग आरोपी को मध्यप्रदेश के कटनी से गिरफ्तार किया है, तीनों मामलों में पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज,शिनाख्ती,तकनीकी संसाधनों, मुखबिर सूचना और लगातार दबिश का सहारा लिया। पुलिस के अनुसार तीनों मामलों में आगे की विवेचना जारी है।

बिना नंबर के मोपेड में बैठकर जंगल ले गया,5 हजार रुपये लूट-ओड़गी थाना क्षेत्र में ग्राम भवरखोह निवासी जेट्टू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अगस्त 2026 को वह ओड़गी लोक सेवा केंद्र से पैसे निकालने गया था,रकम निकालने के बाद बस स्टैंड ओड़गी में बारिश के कारण वह रुका हुआ था, इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बिना नंबर की मोपेड लेकर पहुंचा और उसे गांव तक छोड़ने की बात कही,जेट्टू सिंह उसके साथ मोपेड में बैठकर जाने लगा। आरोप है कि रास्ते में पालदमौली जंगल के पास उक्त व्यक्ति ने जबरन रुपये 5 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गया,प्राथी की रिपोर्ट पर थाना ओड़गी में अपराध क्रमांक 60/2026, धारा 309(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

सामाहिक बाजार में मिला संदिग्ध, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा-पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने आरोपी की पतासाजी कर शोध गिरफ्तारी के निर्देश दिए, विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मामले में बताए गए हतुलिए से मिलता-जुलता व्यक्ति ओड़गी सामाहिक बाजार में कुछ लोगों को अपने साथ सहायता करने के नाम पर बैठ रहा है,सूचना

नाबालिग के अपहरण में पुलिस का पीछा बिहार से नागपुर तक...

ओड़गी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया,मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर अपहृता की पतासाजी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गईं,एक टीम कटनी मध्यप्रदेश और दूसरी टीम पश्चिम चंपारण बिहार के लिए रवाना की गई। पुलिस के अनुसार दोनों स्थानों पर अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी गई,लेकिन आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था।

बिहार से हैदराबाद,बैंगलोर होते हुए नागपुर तक पीछा

बिहार पहुंची पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी की लगातार पतासाजी शुरू की, आरोपी के ठिकाने बदलने के बावजूद पुलिस उसका पीछा करती रही,पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार से हैदराबाद और बैंगलोर होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंचा,जहां पाड़रंगा क्षेत्र में पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ा, आरोपी की पहचान राजू कुमार उम्र 24 वर्ष, निवासी पश्चिम चंपारण बिहार के रूप में बताई गई है। पुलिस ने उसके कब्जे से अपहृत नाबालिग बालिका को बरामद किया,नाबालिग को आवश्यक प्रक्रिया के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया,जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया,वहीं मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है,कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन एवं एसडीओपी ओड़गी राजेंद्र मंडवी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा,एसआई ज्ञानचंद सिंह, प्रधान आरक्षक उदय सिंह,आरक्षक हेमंत सिंह,अनिल एक्का,सतीश गुप्ता,निर्मल राजवाड़े और महिला आरक्षक सुकन्या सिंह द्वारा की गई।

मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम श्रीराम गुप्ता उर्फ लम्बू उर्फ सुजीत उर्फ करण,पिता छोटेलाल,निवासी दरौपारा थाना भैयाथान,वर्तमान निवासी ग्राम मनियारी थाना बैदुन,जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश बताया,पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और शिनाख्ती कार्रवाई में उक्त व्यक्ति की पहचान लूट की घटना से जुड़ी पाई गई, पूछताछ में भी आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार करने की बात पुलिस ने कही है, इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश के कई थानों में अपराध दर्ज हैं तथा थाना बसंतपुर में वह स्थायी वारंटी भी है। संबंधित थानों को इसकी सूचना दी गई है,इस कार्रवाई में थाना प्रभारी ओड़गी अलरिक लकड़ा,प्रधान आरक्षक रामाधीन सलमले,मनोज वर्मा,आरक्षक निर्मल राजवाड़े और जगदीश सक्रिय रहे।

4.24 करोड़ के गांजा मामले में एक और आरोपी कटनी से गिरफ्तार- जयनगर थाना पुलिस ने 4 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक कीमत के गांजा जन्ती मामले में फरार

एक और आरोपी को मध्यप्रदेश के कटनी से गिरफ्तार किया है,पुलिस के अनुसार इस मामले में पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी और गांजा सहित परिवहन में प्रयुक्त बस की जन्ती की जा चुकी है,घटना 4 जून 2026 की है, जयनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ की ओर जा रही नीलम बस क्रमांक CG 15 EH 4301 में कुछ लोग बोरियों और कपड़े में बंधी गठरियों में गांजा लेकर जा रहे हैं।

गठरियों के ऊपर पहचान छिपाने के लिए झाड़ू बांधे जाने की भी सूचना थी, पुलिस टीम ने सिलफिली पहुंचकर बस को रोका। तलाशी के दौरान बस में चालक के अलावा छह महिलाएं मिलीं। पुलिस के अनुसार बस की लोअर सीट और ऊपर स्लीपर सीट में रखी 53 बोरियों तथा कपड़े में बंधी गठरियों से कुल 848 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद हुआ, पुलिस ने इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 24 लाख रुपये बताई, इसके अलावा 478 नग झाड़ू, परिवहन में प्रयुक्त बस और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया,मामले में अपराध क्रमांक 140/2026, धारा 20(बी), 20(II)(सी) और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

मैनपाट से जीवन बचाने का संदेश : प्रशिक्षणार्थियों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान सेवा संकल्प अभियान के दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

किसी ज़रूरतमंद के लिए समय पर उपलब्ध रक्त जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी मानवीय भावना को जनसहभागिता से जोड़ते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा सरगुजा द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीएस), मैनपाट में स्वैच्छिक रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एक माह अवधि के 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान आयोजित इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य प्रतिभागियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई। शिविर में 110 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पंजीजन कराया। रक्तदान के प्रति प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता यह संदेश देती है कि समाज के प्रत्येक वर्ग,विशेषकर युवाओं की पहल किसी ज़रूरतमंद के लिए महत्वपूर्ण सहायता बन सकती है। स्वैच्छिक रक्तदान केवल रक्त देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आवश्यकता के समय किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का माध्यम भी है।

सरगुजा ओलंपिक 2026-27: अम्बिकापुर विकासखण्ड में 05 एवं 06 अक्टूबर को हॉकी खेल प्रतियोगिताएं

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने, ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच प्रदान करने तथा खेलों के प्रति उत्साह एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'सरगुजा ओलंपिक 2026-27' अंतर्गत विकासखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 05 एवं 06 अक्टूबर 2026 को अम्बिकापुर विकासखण्ड में किया जाएगा। जनपद पंचायत अम्बिकापुर के अंतर्गत आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं में

महिला एवं पुरुष वर्ग के प्रतिभागी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 अक्टूबर 2026 को महिला वर्ग तथा 06 अक्टूबर 2026 को पुरुष वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

महिला एवं पुरुष वर्ग की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन पीजी कॉलेज ग्राउंड एवं गांधी स्टेडियम, अम्बिकापुर खेल प्र्रांगण में किया जाएगा। वहीं पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता सेंट जेवियर स्कूल, नवापारा अम्बिकापुर के खेल मैदान में आयोजित होगी।



कार्यक्रम को पुलिस महानिरीक्षक,सरगुजा रेंज, श्री दीपक कुमार झा का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं कलेक्टर एवं अध्यक्ष,भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी,जिला शाखा सरगुजा, श्री अजित वसंत के मार्गदर्शन में जिला शाखा द्वारा शिविर के आयोजन एवं समन्वय की कार्यवाही की गई। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र,मैनपाट के पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रसाद भैया, मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक श्री रोशन दहल एवं श्री कन्हैया यादव की सक्रिय भूमिका रही। उनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रक्तदान के महत्व की जानकारी देते हुए स्वैच्छिक रक्तदान के लिए

प्रोत्साहित किया गया। उनके मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से प्रशिक्षणार्थियों में रक्तदान के प्रति सकारात्मक सहभागिता देखने को मिली। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा रक्तदान, नेत्रदान,अंगदान,देहदान एवं मानवीय सेवा से संबंधित गतिविधियां निरंतर संचालित की जाती हैं। सेवा संकल्प अभियान की अवधि में आयोजित यह शिविर इसी निरंतर सेवा-कार्य का एक हिस्सा रहा,जिसके माध्यम से रक्तदान के प्रति जागरूकता एवं सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर 'रक्तदान महादान दृ अंगदान जीवनदान' का संदेश भी दिया गया।

चौथी बार रक्तदान कर सुमन्त प्रजापति ने पेश की मानवता की मिसाल

ज़रूरतमंद 70 वर्षीय महिला के लिए तत्काल किया रक्तदान,अस्पताल प्रबंधन ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

रक्तदान किसी ज़रूरतमंद के लिए जीवन की उम्मीद बन सकता है। इसी भावना के साथ छत्तीसगढ़ विकलांग एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुमन्त प्रजापति ने एक बार फिर रक्तदान कर सेवा और मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, अंबिकापुर पहुंचकर चौथी बार रक्तदान किया। जानकारी के अनुसार ग्राम मसगा निवासी सुखराम कुम्हारिया की 70 वर्षीय माता विफनी बाई को रक्त की आवश्यकता थी। इसकी जानकारी मिलने पर सुमन्त प्रजापति तत्काल अस्पताल पहुंचे और रक्तदान किया। समय पर रक्त उपलब्ध होने से मरीज के उपचार में आवश्यक सहायता मिली।



रक्तदान के बाद शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अंबिकापुर के संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक तथा ब्लड सेंटर अधिकारी की ओर से सुमन्त प्रजापति को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके इस सेवाभावी प्रयास के लिए बधाई दी गई। सुमन्त प्रजापति ने कहा कि रक्तदान महादान है। ज़रूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए स्वस्थ



लोगों को आगे आकर नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए किया गया रक्तदान भी उसके और उसके परिवार के लिए बड़ी मदद बन सकता है। सुमन्त प्रजापति के इस सेवाभावी कार्य की अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रेलवानी सहित अन्य अधिकारियों ने सराहना की।

11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वर्णप्राशन एवं संतुलित आहार कार्यक्रम

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,03 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर सुपोषण माह के अंतर्गत जिला आयुर्वेद चिकित्सालय,अम्बिकापुर में स्वर्णप्राशन,संतुलित आहार के महत्व को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों एवं लाभार्थियों को स्वर्णप्राशन का लाभ प्रदान करने के साथ ही स्वस्थ जीवनशैली और पोषण के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. शशिबाला जायसवाल की उपस्थिति में स्वर्णप्राशन से की गई। इस दौरान कुल 108 लाभार्थियों को स्वर्णप्राशन कराया गया। लाभार्थियों एवं उनके अभिभावकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी देते हुए दैनिक भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया गया कि मिलेटेड्रि अन्न को दैनिक आहार में शामिल कर संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की आदत को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, स्वस्थ दिनचर्या अपनाने और पोषण को अपनी दैनिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए सुझाव दिए गए।

सेवा सेतु अभियान के तहत उदयपुर में शिविर आयोजित



—संवाददाता—

अम्बिकापुर,03 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। सेवा सेतु अभियान के तहत शनिवार को जनपद पंचायत उदयपुर के सामुदायिक भवन में शिविर का आयोजन सांसद श्री चिंतामणि महाराज की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई तथा उनसे प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की गई। शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों के आवेदन प्रस्तुत किए। सेवा सेतु अभियान के तहत शिविर में कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए। संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण की कार्रवाई की गई। इस अवसर पर सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा।

फुटबॉल प्रतियोगिता,धरमपुर और सोहगा ने दर्ज की जीत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

गांधी स्टेडियम में चल रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में कांतिप्रकाशपुर सरगुजा और धरमपुर सूरजपुर की टीमें आमने-सामने थीं। धरमपुर की टीम ने

शुरुआत से ही बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए पहले हाफ में एक गोल कर 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में भी धरमपुर के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल जारी रखा और एक और गोल दागकर बढ़त 2-0 कर दी। कांतिप्रकाशपुर की टीम वापसी नहीं कर सकी और धरमपुर ने 2-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरे मुकाबले में जमदरा और यूथ एकेडमी सोहगा के बीच

हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं रही। दूसरे हाफ में सोहगा ने खेल की गति बढ़ाई और एक गोल कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद जमदरा की टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी और सोहगा ने 1-0 से जीत दर्ज की। मुकाबलों में निर्णायक की भूमिका दिनेश



जायसवाल, अमरदेव,नीलभूषण और रामबहादुर लांबा ने निर्भारी। प्रतियोगिता के आयोजन में कार्यकारिणी सदस्य दीपक कुजूर, कमलेश किस्सोड़ा, अखिलानंद, विनोद पैकरा और मंगल सहित अन्य सदस्यों की सहभागिता रही।



सहकारिता विभाग का 'नचनिया तंत्र'!

आखिर किसके इशारे पर नाच रहे हैं बनज? आज दुर्गाचरण कल श्यामलाल...आखिर अगला आदेश किसके नाम?

सहकारिता में कैसी 'कलाबाजी'? पहले दुर्गाचरण को बोर्ड की शक्तियाँ, फिर हटाने की कवायद और अब आदेशों की उलझी कहानी

आखिर बनज किसके इशारे पर?
सहकारिता में आदेशों का ऐसा खेल—
पहले दुर्गाचरण हटे, फिर
श्यामलाल को मिली कमान!

सहकारिता में 'आदेश एक्स्प्रेस'!
कुर्सी वही, आदेश नए! सोनपुर समिति में
प्राधिकृत अधिकारी बदलने का
सिलसिला क्यों?

आदेशों पर आदेश, सवालों का
जवाब गायब—सोनपुर में सहकारिता
विभाग की 'अज्ञब व्यवस्था'

दुर्गाचरण हटे, श्यामलाल आए...फिर
आदेश आया—सोनपुर में फाइल
आखिर किस दिशा में दौड़ रही है?

सहकारिता विभाग का कमाल : पहले जिसे
अधिकार दिया, उसी व्यवस्था को बदला,
फिर बदली व्यवस्था पर फिर आदेश!

पहले प्राधिकृत अधिकारी दुर्गाचरण सिंह
को हटाया, फिर उसी पद पर श्यामलाल
सिंह को अधिकार, तीन साल में आदेशों
का ऐसा खेल कि व्यवस्था ही कटघरे में

18 नवंबर 2024 के आदेश में
दुर्गाचरण सिंह को बोर्ड की शक्तियों के
उपयोग के लिए अधिकृत किया गया

24 जुलाई 2026 के श्यामलाल सिंह को
उसी पद पर अधिकृत किया गया और 1
अक्टूबर 2026 को फिर आदेश जारी

—ओंकार पाण्डेय—

सूरजपुर, 03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग में आदेशों की अपनी एक
अलग दुनिया है, यहाँ कभी किसी व्यक्ति को
नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी बनाया
जाता है, फिर उसी व्यवस्था को बदल दिया जाता
है और कुछ समय बाद उसी समिति के लिए
फिर दूसरा आदेश सामने आ जाता है, सवाल
तब और बड़ा हो जाता है, जब एक ही समिति
के संबंध में अलग-अलग समय पर जारी
आदेशों को सामने रखकर देखा जाए और यह
पूछा जाए कि आखिर विभाग की नीति क्या है—
नियम के अनुसार व्यवस्था चलाना या
परिस्थितियों के अनुसार आदेश बदलते रहना?

सहकारिता विभाग में नियमों की कितनी
मोटी है, आदेशों की फाइलें उससे भी मोटी हैं
और आम आदमी का सवाल सबसे छोटा—
आखिर हुआ क्या? लेकिन सोनपुर की आदिम
जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पंजीयन
क्रमांक 580 का मामला अब इतना सीधा भी
नहीं रहा कि एक आदेश दिखाकर कहानी खत्म
कर दी जाए, यहाँ कहानी एक व्यक्ति को
अधिकार देने, फिर उसी व्यवस्था से हटाने और
फिर उसके आसपास पैदा हुए पात्रता-विवाद की
है, मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि
उपलब्ध दस्तावेजों में एक तरफ 18 नवंबर
2024 का वह आदेश मौजूद है, जिसमें
दुर्गाचरण सिंह को समिति के बोर्ड की शक्तियों
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया
था, दूसरी तरफ 24 जुलाई 2026 का आदेश
है, जिसमें उन्होंने दुर्गाचरण सिंह के स्थान पर
श्यामलाल सिंह को बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग
करने के लिए प्राधिकृत किया गया, इसके बाद
1 अक्टूबर 2026 का आदेश श्यामलाल सिंह
की प्राधिकृत व्यवस्था को आगे बढ़ाता दिखाई
देता है, अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि कुर्सी पर
कौन बैठा, सवाल यह है कि कुर्सी बदलने की
जरूरत क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल
है की अगर दुर्गाचरण सिंह को बोर्ड की शक्तियों

18 नवंबर 2024—विभाग ने खुद दी थी बोर्ड की शक्तियाँ

सबसे पहले उस दस्तावेज पर नजर डालिए, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है, 18 नवंबर 2024 को कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सूरजपुर से संशोधित आदेश जारी हुआ, इसमें पहले के 15 दिसंबर 2023 के आदेश का संदर्भ है, जिसके तहत राजेश सिंह, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा भैयाथान को सोनपुर समिति का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था, इसके बाद 18 नवंबर 2024 को समिति की गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर दुर्गाचरण सिंह को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर, पंजीयन क्रमांक 580 के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया, आदेश में संबंधित सहकारी अधिनियम की धारा 49(8) और विभागीय अधिसूचना का भी उल्लेख किया गया है, साथ ही उन्हें आगामी आदेश तक बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किए जाने की बात दर्ज है, यानी उस समय विभाग के स्तर पर दुर्गाचरण सिंह को यह अधिकार देना कोई मौखिक या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं थी, सरकारी आदेश था, अधिकारी के हस्ताक्षर थे, समिति की अनुशंसा का उल्लेख था, और सबसे महत्वपूर्ण—बोर्ड की शक्तियाँ प्रयोग करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया था।

फिर अचानक शिकायतों
की एंट्री—और शुरू हुई
हटाने की कहानी...

आपके बताए पूरे घटनाक्रम के
अनुसार, इसके बाद समिति का
संचालन चलता रहा, लेकिन बाद में
दुर्गाचरण सिंह के विरुद्ध शिकायतों के
आधार पर उन्हें बोर्ड की शक्तियों से
हटाने की कवायद शुरू हुई, यहीं से
मामला सामान्य प्रशासनिक फेरबदल
से निकलकर सवालों की चौखट पर
आ जाता है, क्यों? क्योंकि यदि
शिकायत के आधार पर किसी ऐसे
व्यक्ति को हटाया जा रहा है जिसे
विभाग ने खुद पहले प्राधिकृत किया
था, तो शिकायत के बाद की प्रक्रिया
भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए,
शिकायत क्या थी? किसने की? जांच
किसने की? दुर्गाचरण सिंह को क्या
नोटिस दिया गया? उनका पक्ष क्या
हुआ? जांच में क्या पाया गया? क्या
उन्हें अपात्र घोषित किया गया? यदि
किया गया तो किस आदेश से? और
सबसे बड़ा सवाल— क्या उस समय
विभाग ने अपने ही 18 नवंबर 2024
के आदेश की वैधता और आधार की
भी समीक्षा की?

के लिए योग्य मानकर विभाग ने आदेश जारी
किया था, तो बाद में उनकी पात्रता पर सवाल
किस आधार पर उठा?

अगर पहले अपात्र थे तो 18 नवंबर
2024 का आदेश किसने बनाया?

यही सवाल इस पूरे प्रकरण का सबसे धारदार
बिंदु है, मान लीजिए बाद की कार्रवाई में यह
निष्कर्ष निकला कि दुर्गाचरण सिंह बोर्ड की
शक्तियों का प्रयोग करने के योग्य नहीं थे, तो
फिर सवाल सीधा है 18 नवंबर 2024 को
उन्हें योग्य किस आधार पर माना गया था?
क्या उस समय उनके दस्तावेजों की जांच नहीं
हुई? क्या उनकी पात्रता का परीक्षण नहीं किया
गया? क्या समिति की अनुशंसा बिना जांच
स्वीकार कर ली गई? क्या विभाग ने आदेश
जारी करने से पहले नियमों की समीक्षा नहीं
की? या फिर 2024 में वे नियमसम्मत रूप
से पात्र थे और बाद में कोई नई परिस्थिति
सामने आई? अगर नई परिस्थिति आई तो वह
क्या थी? यही वह दस्तावेज है जिसे अब
फाइल से बाहर आना चाहिए।

और अगर पात्र थे तो
हटाने का आधार क्या था?

दूसरी तरफ यदि दुर्गाचरण सिंह की
नियुक्ति/प्राधिकृति नियमसम्मत थी, तो बाद में
उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? केवल
शिकायत? तो शिकायत की जांच कहाँ है?
आरोप? तो आरोपों का सत्यापन कहाँ है?
जांच? तो जांच रिपोर्ट कहाँ है? अपात्रता? तो

24 जुलाई 2026
दुर्गाचरण की जगह
श्यामलाल

अब आते हैं 24 जुलाई 2026 के उस
आदेश पर, जिसने पूरे मामले को नया
मोड़ दिया, इस आदेश में 18 नवंबर
2024 के आदेश का स्पष्ट संदर्भ लेते
हुए कहा गया है कि दुर्गाचरण सिंह को
सोनपुर समिति की बोर्ड शक्तियों का
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया
गया था, इसके बाद आदेश में कहा
गया कि श्यामलाल सिंह, शाखा
प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
मर्यादित अंबिकापुर, शाखा भैयाथान
को दुर्गाचरण सिंह के स्थान पर
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति
सोनपुर की बोर्ड शक्तियों का प्रयोग
करने के लिए प्राधिकृत किया जाता
है, अब देखिए सरकारी फाइल का
खेल कितना दिलचस्प है 18 नवंबर
2024: दुर्गाचरण सिंह, 24 जुलाई
2026: दुर्गाचरण सिंह के स्थान पर
श्यामलाल सिंह, अब सवाल है की
दुर्गाचरण सिंह को हटाने के निर्णय
के पीछे पूरी फाइल क्या कहती है?
यही असली कहानी है।

अपात्र घोषित करने का आदेश कहाँ है? क्योंकि
शिकायत और दोष सिद्ध होना दो अलग बातें हैं,
किसी के खिलाफ शिकायत होना अपने आप
यह साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति दोषी या
अपात्र है, और यदि विभाग ने शिकायत के
आधार पर कोई प्रतिकूल निर्णय लिया, तो उस
निर्णय की प्रशासनिक प्रक्रिया भी रिकॉर्ड में
होनी चाहिए।

क्या शिकायत केवल शिकायत थी या
कार्रवाई का आधार बन गई?

आपके बताए घटनाक्रम में यह सवाल प्रमुख है
कि दुर्गाचरण सिंह के विरुद्ध शिकायत करारक
उन्हें हटाने का प्रस्ताव किया गया, फिर ऐसा हुआ
तो यह जांचना जरूरी है कि शिकायत के बाद
विभाग ने कौन-सी प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि
सरकारी व्यवस्था में शिकायत का मतलब यह
नहीं होता कि शिकायत में लिखी हर बात स्वतः
सत्य हो गई, शिकायत के बाद जांच होनी
चाहिए, रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए, संबंधित व्यक्ति
का पक्ष लिया जाना चाहिए, और फिर निष्कर्ष के
आधार पर निर्णय होना चाहिए, यदि यह प्रक्रिया
पूरी हुई है तो विभाग के पास रिकॉर्ड होगा, यदि
प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो यही सवाल सबसे बड़ा
बन जाएगा।

फिर आया वह सवाल...
कौट जाएंगे तो क्या होगा?

आपके बताए घटनाक्रम के अनुसार
दुर्गाचरण सिंह अपने खिलाफ होने वाली
कार्रवाई को उच्च न्यायालय बिलासपुर में

यहाँ से शुरू होता है 'सहकारिता सिंडिकेट' का सवाल

क्या दुर्गाचरण सिंह के खिलाफ कोई 'सिंडिकेट' काम कर रहा था? सवाल यह है कि
ऐसी आशंका पैदा क्यों हुई? क्योंकि घटनाक्रम में निर्णयों का बदलाव स्वरूप दिखाई
देता है, एक समय व्यक्ति को बोर्ड की शक्तियाँ दी गईं, फिर वही व्यक्ति हटाने की
प्रक्रिया में आया, फिर उसके स्थान पर दूसरा अधिकारी आया, फिर पात्रता और
शिकायत का विवाद सामने आया, और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कहीं बाद
में वही स्थिति बदलने की नौबत आई, अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो सहकारिता विभाग
को जवाब देना होगा कि पहला निर्णय गलत था या दूसरा? क्योंकि दोनों एक साथ सही
नहीं हो सकते, यदि दोनों का आधार एक ही परिस्थितियाँ हों।

जांच अधिकारी भी वही और निष्कर्ष बदल गया तो?

आपके सार में सबसे गंभीर आरोपों में एक यह है कि जिस जांच अधिकारी ने पहले
दुर्गाचरण सिंह को अपात्र माना, बाद की जांच में उसी व्यक्ति को योग्य माना गया, यदि
दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं तो यह पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक
प्रश्न होगा, फिर जांच हानी चाहिए पहली जांच कब हुई? किस आदेश से हुई? जांच
अधिकारी कौन था? पहली रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष था? दूसरी जांच कब हुई? उसी
अधिकारी ने क्या नया पाया? क्या कोई नया दस्तावेज मिला? क्या पहले निष्कर्ष को
निरस्त किया गया? किस अधिकारी ने दोनों रिपोर्टों को स्वीकार किया? और फिर
सवाल सीधा है की एक ही मामले में एक ही जांच अधिकारी की कलम से दो अलग
निष्कर्ष क्यों निकले? अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो विभाग को इसका दस्तावेजी
स्पष्टीकरण देना चाहिए।

चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे, यहीं से कहानी
में एक और सवाल जुड़ता है, यदि कोई
प्रशासनिक आदेश न्यायालय में चुनौती के योग्य
स्थिति में पहुँच रहा था और उसके बाद
विभागीय स्तर पर निर्णय में बदलाव हुआ, तो
क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध था?
यह संबंध तभी स्थापित किया जा सकता है जब
संबंधित न्यायालयीन दस्तावेज और विभागीय
नोटशीट सामने हों, लेकिन अगर टाइमलाइन में
यह दिखाई दे रहा है कि पहले हटाने की प्रक्रिया,
फिर न्यायालयीन चुनौती की तैयारी, और उसके
बाद पुनः अधिकार देने का निर्णय, तो यह
निश्चित रूप से जांच का महत्वपूर्ण पहलू है।

'नियम' और 'सुविधा'
के बीच की दूरी कितनी है?

सहकारिता विभाग के आदेशों को देखकर व्यंग्य
करने का सबसे आसान तरीका यही है नियम
वही, समिति वही, पंजीयन क्रमांक वही—580,
बोर्ड वही, लेकिन समय के साथ बोर्ड की
शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बदल
गया, पहले राजेश सिंह, फिर दुर्गाचरण सिंह, फिर
श्यामलाल सिंह, और फिर अक्टूबर 2026 का
आदेश, आम आदमी तो पूछेगा ही—साब,ब,
समिति चल रही है या प्राधिकृत अधिकारी की
कुर्सी का ट्रायल चल रहा है? लेकिन इस व्यंग्य
के पीछे वास्तविक सवाल है—हर बदलाव की
प्रशासनिक वजह क्या थी?

प्रभाती उप पंजीयक अनिल
कुमार बनज पर उठ रहे सवाल

24 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 के
उपलब्ध आदेशों पर प्रभाती उप पंजीयक अनिल
कुमार बनज के हस्ताक्षर दिखाई देते हैं, इसलिए
सवाल सीधे उनके कार्यालय से पूछा जाना
चाहिए दुर्गाचरण सिंह को हटाने का आधार क्या
था? क्या कोई जांच रिपोर्ट थी? क्या कोई
शिकायत थी? क्या उन्हें सुनवाई का अवसर
दिया गया? श्यामलाल सिंह को उनके स्थान पर
लाने का प्रशासनिक आधार क्या था? क्या 18
नवंबर 2024 के आदेश की समीक्षा की गई?
यदि की गई तो उसका निष्कर्ष क्या था? और
यदि बाद में दुर्गाचरण सिंह की स्थिति बदली,
तो किस आदेश से बदली? यही सवाल व्यक्ति
विशेष पर आरोप लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

'किसके इशारे पर नाच रहे हैं?' —
व्यंग्य का सवाल, जवाब फाइल से—
सहकारिता विभाग के अधिकारियों को
'नचनिया' कहना तीखा व्यंग्य है, लेकिन असली
पत्रकारिता का सवाल ये है की आदेश जिस
तरह बदल रहे हैं की व्यवस्था भी शर्मा जाए,
सवाल यह नहीं कि कौन किसके इशारे पर
नाच रहा है, सवाल यह है की किसके प्रस्ताव
पर आदेश निकला? किसकी नोटशीट पर
निर्णय हुआ? किस अधिकारी ने किस नियम

की व्याख्या की? किस जांच को आधार बनाया
गया? किस कारण से पिछला आदेश बदला
गया? अगर इन पांच सवालों के जवाब मिल
जाएँ तो 'इशारे' की कहानी अपने आप साफ
हो जाएगी।

भाजपा समर्थक
दुर्गाचरण के साथ ही क्यों?

इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है,
दुर्गाचरण सिंह को भाजपा समर्थित व्यक्ति है,
भाजपा सरकार के दौरान उन्हें प्राधिकृत
अधिकारी बनाया गया, बाद में उन्हीं के
खिलाफ हटाने की कार्रवाई की बात सामने
आई और फिर अधिकारों को लेकर विवाद
खड़ा हुआ, राजनीतिक पहचान को कार्रवाई
माना जा रहा है, लेकिन यह सवाल जरूर पूछा
जा सकता है की यदि कोई व्यक्ति उसी
सरकार के कार्यकाल में नियमों के तहत
प्राधिकृत किया गया था, तो बाद में उसे हटाने
के लिए कौन-सी नई प्रशासनिक परिस्थिति
पैदा हुई? अगर विभाग के पास उसका स्पष्ट
जवाब है तो मामला साफ, अगर जवाब नहीं
है तो सवाल और गहरा।

तीन साल का अनुभव...
दुर्गाचरण ने क्या देखा?

दुर्गाचरण सिंह के लिए यह पूरा घटनाक्रम
सिर्फ एक पद का उतार-चढ़ाव नहीं है, 15
दिसंबर 2023 के आदेश से शुरू हुई
व्यवस्था के बाद 18 नवंबर 2024 को उन्हें
बोर्ड की शक्तियाँ मिलीं, इसके बाद 2026
में फिर वही पद और अधिकार विवाद के केंद्र
में आ गए, एक व्यक्ति के लिए यह अनुभव
निश्चित रूप से प्रशासनिक प्रक्रिया की
जटिलता को समझने वाला रहा होगा, लेकिन
जनता के लिए इससे भी बड़ा सवाल यह है
की अगर सरकारी आदेशों में इतनी आसानी
से बदलाव हो सकता है तो आम समिति
सदस्य किस आदेश को अंतिम मानें? आज
का आदेश? कल का संशोधित आदेश? या
अगले महीने आने वाला नया आदेश?

सहकारिता की साख का सवाल

सहकारी समितियाँ किसानों और सदस्यों की
संस्थाएँ हैं, यहाँ आदेशों की विश्वसनीयता
महत्वपूर्ण है, यदि किसी व्यक्ति को बोर्ड की
शक्तियाँ दी जाती हैं तो समिति के सदस्य यह
मानते हैं कि विभाग ने नियमों की जांच के बाद
ही यह निर्णय लिया होगा, और यदि बाद में वही
व्यक्ति हटाया जाता है तो सदस्य यह जानना
चाहेंगे कि क्यों, फिर यदि पात्रता को लेकर
अलग-अलग निष्कर्ष सामने आते हैं तो
विश्वास का संकट और बढ़ता है, इसलिए
सोनपुर का मामला केवल दुर्गाचरण सिंह का
निजी विवाद नहीं रह जाता, यह सवाल बन

जाता है कि—सहकारिता विभाग के आदेशों में
निरंतरता और पारदर्शिता कितनी है?

अब फाइल को बोलना पड़ेगा—इस पूरे
मामले में सबसे प्रभावी जांच कोई राजनीतिक
बयान नहीं होगी, न कोई आरोप, न कोई प्रत्यारोप,
सिर्फ पूरी फाइल, 15 दिसंबर 2023 का
आदेश, 18 नवंबर 2024 का आदेश, दुर्गाचरण
सिंह के खिलाफ शिकायत, जांच आदेश, जांच
रिपोर्ट, अपात्रता संबंधी आदेश, 24 जुलाई
2026 का आदेश, उच्च न्यायालय से संबंधित
दस्तावेज, यदि कोई हो, पुनः प्राधिकृत किए जाने
का आदेश, यदि जारी हुआ हो, 1 अक्टूबर
2026 का आदेश, इन सभी की तारीखवार रख
दिया जाए तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी।

व्यंग्य का अंतिम सवाल—सहकारिता
में 'सिस्टम' कौन चला रहा है?—सोनपुर
की कहानी को व्यंग्य में समेटें तो तस्वीर कुछ
ऐसी बनती है की पहले कहा गया की आइए
दुर्गाचरण सिंह, बोर्ड की शक्तियाँ संभालिए, कुछ
समय बाद—अब हटिए, आपकी जगह दूसरा
अधिकारी आएगा, फिर सवाल है की क्यों
हटायें? जवाब तलाशिए तो शिकायत, शिकायत
तलाशिए तो जांच, जांच तलाशिए तो रिपोर्ट,
रिपोर्ट तलाशिए तो फाइल, और फाइल तलाशते—
तलाशते सवाल पहुँच जाता है आखिर यह
फैसला हुआ कैसे? यही तो सरकारी व्यवस्था
की सबसे बड़ी विडंबना है की आदेश सामने है,
लेकिन आदेश की आत्मा यानी कारण फाइल के
अंदर छिपा हुआ है।

अब सहकारिता विभाग से जवाब
चाहिए—

- अगर दुर्गाचरण सिंह अपात्र थे तो 18
नवंबर 2024 को उन्हें बोर्ड की शक्तियाँ
क्यों दी गईं?
- अगर वे पात्र थे तो बाद में उन्हें हटाने की
कार्रवाई क्यों हुई?
- यदि शिकायत हुई तो उसकी जांच कहाँ है?
- यदि जांच हुई तो रिपोर्ट कहाँ है?
- यदि अपात्र घोषित किया गया तो आदेश
कहाँ है?
- 24 जुलाई 2026 को श्यामलाल सिंह को
उनके स्थान पर लाने का वास्तविक आधार
क्या था?
- यदि बाद में दुर्गाचरण सिंह को फिर बोर्ड
की शक्तियाँ मिलीं तो वह आदेश कहाँ है?
- यदि जांच अधिकारी ने दो अलग-अलग
निष्कर्ष दिए तो दोनों रिपोर्टों में अंतर क्यों
है?
- और सबसे बड़ा सवाल—पूरे निर्णय की
नोटशीट में किसने क्या लिखा?

सबसे गंभीर बात किसी व्यक्ति का हटना या
किसी दूसरे का आना मात्र नहीं है, गंभीर बात है
निर्णय प्रक्रिया का बदलाव स्वरूप, 18 नवंबर
2024 के दस्तावेज में दुर्गाचरण सिंह को बोर्ड
की शक्तियों के लिए प्राधिकृत किए जाने की
व्यवस्था स्पष्ट है, 24 जुलाई 2026 के
दस्तावेज में श्यामलाल सिंह को दुर्गाचरण सिंह
के स्थान पर प्राधिकृत किए जाने की व्यवस्था
स्पष्ट है, 1 अक्टूबर 2026 का दस्तावेज
श्यामलाल सिंह की प्राधिकृत व्यवस्था को आगे
बढ़ाता दिखाई देता है, अब इनके बीच यदि
शिकायत, जांच, अपात्रता, न्यायालयीन चुनौती
और पुनः पात्रता/पुनः प्राधिकृति के दस्तावेज
मौजूद हैं, तो वही इस पूरे प्रकरण का वास्तविक
चेहरा सामने रखेगा, सहकारिता विभाग को अब
बयान नहीं, फाइल खोलनी चाहिए, क्योंकि
सवाल यह नहीं कि 'बनज' किसके इशारे पर
नाच रहे हैं? सवाल उससे भी बड़ा है सोनपुर
समिति में आदेश किस नियम के इशारे पर
बदलते रहे? और यदि हर आदेश नियमसम्मत
था, तो जवाब बेहद आसान है—नियम बताइए,
जांच रिपोर्ट दिखाइए, नोटशीट सामने रखिए और
पूरी कहानी खुद-ब-खुद साफ हो जाएगी, वरना
सोनपुर समिति की फाइल जनता को यही पृष्ठे
पर मजबूर करेगी—सहकारिता में नियम लिखे
किसलिए जाते हैं, अगर हर नए आदेश के साथ
उनकी व्याख्या भी गई हो जाए?

झगराखंड-खोंगापानी की कॉलोनियों में कचरे के ढेर

जाम नालियां और जलभराव,नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन,आदेशों की अनदेखी के आरोप से बढ़ी हलचल

राजन पाण्डेय
एमसीबी,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के झगराखंड उपक्षेत्र और खोंगापानी वेस्ट जेकेडी क्षेत्र की कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था, नाली-नालों की सफाई और सिविल कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर पंचायत खोंगापानी के उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी ने महाप्रबंधक,हसदेव एरिया को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की विभिन्न एसईसीएल कॉलोनियों में जमा कचरे के ढेर हटाने,जाम नालियों की सफाई, जलभराव की समस्या दूर करने तथा मच्छर एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित रूप से फोंगिंग,ड्रेल्टा फोंग,लावाहित और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने की मांग की है। मामला केवल सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है,ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं ने एसईसीएल के स्थानीय प्रबंधन में आदेशों के क्रियान्वयन,विभागीय जवाबदेही और सिविल कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं, उपाध्यक्ष का आरोप है कि कुछ मामलों में उपक्षेत्रीय प्रबंधन स्तर से निर्देश जारी होने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है,ऐसे में सवाल उठता है कि आदेश जारी होने के बाद उसके अनुपालन की निगरानी कौन करता है और यदि आदेश का पालन नहीं होता तो जवाबदेही किसकी तय होती है।

कचरे और जाम नालियों से बीमारी का खतरा-ज्ञापन में बारिश के दौरान कई स्थानों पर कचरे के ढेर,जाम नालियों और जलभराव की स्थिति का उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में मच्छर और अन्य कीट-पतंगों के पनपने की आशंका बढ़ने से क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है,नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने मलेरिया, डेंगु और पोलिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए समय रहते प्रभावी सफाई और कीटनाशक गतिविधियां संचालित करने की मांग की है, उनका कहना है कि केवल शिकायत सामने आने के बाद सफाई कराने के बजाय नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नियमित सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल- सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि एसईसीएल की आवासीय कॉलोनियों में सफाई और नाली की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित होती है,तो फिर कई स्थानों पर कचरा जमा होने और नालियां जाम होने की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? क्या संबंधित विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है? यदि निरीक्षण किया जा रहा है तो समस्याओं के

लिखित आदेशों के अनुपालन पर भी सवाल

ज्ञापन में जेकेडी उपक्षेत्र प्रबंधन के लिखित आदेशों के कथित रूप से अनुपालन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है,उपाध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी के अनुसार,समस्याओं के समाधान के लिए उपक्षेत्रीय प्रबंधन स्तर से संबंधित सिविल विभाग को निर्देश दिए जाने के बावजूद कई मामलों में मौके पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई,यदि संबंधित दस्तावेजों और स्थल निरीक्षण में यह आरोप सही पाया जाता है तो मामला केवल सफाई की लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह विभागीय आदेशों के अनुपालन और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ जाएगा,ऐसे में यह सामने आना चाहिए कि आदेश कब जारी किया गया,किस अधिकारी को भेजा गया, कार्रवाई के लिए क्या निर्देश दिए गए,क्या समय-सीमा निर्धारित थी और उसके बाद मौके पर कितना काम कराया गया।

एल-25 आवास की नाली बना उदाहरण

ज्ञापन में कोलरी कर्मचारी अरूण कुमार,पिता स्वर्गीय धर्मु नायक,के आवास क्रमांक एल-25,एल.सी.एच. कॉलोनी से जुड़ी नाली जाम और जलभराव की समस्या का भी उल्लेख किया गया है,बताया गया है कि कर्मचारी द्वारा समस्या के संबंध में आवेदन दिए जाने के बाद उपक्षेत्रीय प्रबंधन स्तर से संबंधित एई सिविल को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ,तो यह जांच का विषय है कि निर्देश जारी होने के बाद कार्रवाई किस स्तर पर रुकी,एक कर्मचारी की बुनियादी सुविधा से जुड़ी शिकायत पर जारी निर्देश का समय पर पालन नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है,शिकायत दर्ज करने से आगे बढ़कर उसके अंतिम निराकरण तक जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

निराकरण के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? यदि निरीक्षण नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन सवालों पर अब एसईसीएल प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी माना जा रहा है।

आदेश जारी करने और लागू कराने के बीच कौन जिम्मेदार?- एसईसीएल जैसी बड़ी औद्योगिक संस्था में विभिन्न विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित होती हैं, ऐसे में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के स्तर से निर्देश जारी होने के बाद भी काम नहीं होता, तो आदेश और कार्रवाई के बीच की पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी हो जाती है,सवाल यह भी है कि क्या संबंधित अधिकारी को आदेश प्राप्त हुआ था? क्या कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति आवश्यक थी? क्या बजट उपलब्ध था? बजट उपलब्ध होने के बावजूद कार्य लंबित क्यों रहा? क्या टेंडर या अन्य विभागीय प्रक्रिया लंबित थी? यदि प्रक्रिया लंबित थी तो उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी? और यदि कार्य किसी कारण से संभव नहीं था तो इसकी सूचना किस स्तर पर दी गई? इन सवालों के जवाब दस्तावेजों और मौके की स्थिति के मिलान से ही सामने आ सकते हैं।

टेंडर, कार्यादेश और भुगतान रिकॉर्ड की जांच की मांग- ज्ञापन में उठे मुद्दों के बाद क्षेत्र में सफाई एवं सिविल कार्यों से संबंधित पूरी प्रक्रिया की जांच की आवश्यकता भी सामने आती है,यदि किसी कार्य के लिए राशि

स्वीकृत हुई है,तो यह देखा जाना चाहिए कि कार्य का टेंडर कब जारी हुआ,किस एजेंसी को कार्य मिला,कार्यादेश कब जारी किया गया और निर्धारित अवधि क्या थी,इसके साथ ही कार्य की वास्तविक प्रगति,माप पुरितका, बिल और भुगतान की स्थिति का भी मिलान किया जाना चाहिए,यदि किसी कार्य को रिकॉर्ड में पूरा बताया गया हो लेकिन मौके पर उसका अस्तित्व न मिले या कार्य अधूरा पाया जाए,तो स्थिति गंभीर हो सकती है,वहीं यदि कार्य लंबित है तो उसके कारण और जिम्मेदार स्तर को भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

कागजों में काम या जमीन पर भी?

मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति का मिलान हो सकता है, एसईसीएल प्रबंधन यदि शिकायतों की वास्तविकता जानना चाहता है तो संबंधित कॉलोनियों का संयुक्त निरीक्षण कराया जा सकता है,सफाई,नाली,जलनिकासी और सिविल कार्यों की मौके पर स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। पूर्व में जारी शिकायतों और लिखित निर्देशों की फाइलों को देखा जाए और यह जांचा जाए कि प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई,यदि किसी रिकॉर्ड में कार्रवाई पूर्ण दर्शाई गई हो और स्थल निरीक्षण में काम नहीं मिला तो जवाबदेही का सवाल और गंभीर हो जाएगा।



झगराखंड-खोंगापानी की कॉलोनियों में कचरे के ढेर, जाम नालियों और जलभराव पर तत्काल कार्रवाई की मांग

ज्ञापन की प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को भी

नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने महाप्रबंधक, हसदेव एरिया को ज्ञापन सौंपने के साथ इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी मनेंद्रगढ़,अनुविभागीय अधिकारी राजस्थ मनेंद्रगढ़,उपक्षेत्रीय प्रबंधक झगराखंड तथा स्टाफ ऑफिसर सिविल,हसदेव क्षेत्र को भी भेजी है,इससे मामला केवल स्थानीय स्तर की शिकायत न रहकर उच्च प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कराते हैं या नहीं और शिकायतों की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार होती है या नहीं।

क्षेत्रवासियों के सामने बुनियादी सुविधाओं का सवाल

झगराखंड और खोंगापानी की एसईसीएल कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए साफ-सफाई,नाली और जलनिकासी जैसी सुविधाएं रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं,क्षेत्र में यदि कचरा नियमित रूप से नहीं उठता,नालियां जाम रहती हैं और बारिश के दौरान जलभराव होता है तो इसका सीधा असर कॉलोनी में रहने वाले परिवारों पर पड़ता है, इसलिए क्षेत्रवासियों की अपेक्षा है कि समस्या का समाधान केवल शिकायत के बाद होने वाली अस्थायी सफाई तक सीमित न रहे,बल्कि नियमित व्यवस्था बनाई जाए।

जांव हुई तो कई सवालों के जवाब आ सकते हैं...

पूरे मामले में अब सबसे अहम सवाल यह है कि ज्ञापन में लगाए गए आरोपों को विभागीय जांच होती है या नहीं,यदि जांच होती है तो संबंधित पत्राचार, लिखित निर्देश,कार्यादेश,टेंडर दस्तावेज,माप पुरसिका,भुगतान रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जाना जरूरी होगा,यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने वरिष्ठ स्तर से जारी निर्देशों की अनदेखी की,निर्धारित कार्य नहीं कराया या रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया गया,तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय की जा सकती है,दूसरी ओर, यदि शिकायतों में लगाए गए आरोप दस्तावेजी जांच में सही नहीं पाए जाते हैं, तो एसईसीएल प्रबंधन को भी तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आरोप और वास्तविकता के बीच की स्थिति सामने आ सके।

अब निगाह कार्रवाई पर...

झगराखंड-खोंगापानी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर उठी शिकायत ने एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन,सिविल विभाग और निगरानी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है,मामला केवल कचरा उठाने और नाली साफ कराने तक सीमित नहीं है,बल्कि आदेशों के अनुपालन,कार्यों की निगरानी और जवाबदेही से भी जुड़ गया है,अब निगाह इस बात पर है कि महाप्रबंधक स्तर से ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है,क्या संबंधित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कराया जाएगा? क्या पुराने लिखित निर्देशों की फाइलें खंगाली जाएंगी? क्या सिविल कार्यों के टेंडर और भुगतान रिकॉर्ड का मिलान होगा? और सबसे महत्वपूर्ण है की यदि आदेश जारी होने के बावजूद काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? इन सवालों का जवाब कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा,फिलहाल क्षेत्रवासियों की अपेक्षा यही है कि मामला केवल ज्ञापन और आश्वासन तक सीमित न रहे,बल्कि जमीनी जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और जहां लापरवाही प्रमाणित हो,वहां नियमानुसार जवाबदेही तय की जाए।



वृद्धाश्रम में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ ने किया सेवा कार्य जिला संयोजक योगेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बुजुर्गों का सम्मान,फल और कंबल किए वितरित

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ जिला कोरिया द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बैकुंठपुर स्थित वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया,जिला संयोजक योगेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया, इस दौरान बुजुर्गों को फल वितरित किए गए तथा उंड को देखते हुए कंबल भी प्रदान किए गए,कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने वृद्धजनों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ समय बिताया,सेवा कार्य के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आत्मीयता व्यक्त की गई।

बुजुर्गों की सेवा सामाजिक जिम्मेदारी:- भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि समाज के बुजुर्गों की सेवा और उनका सम्मान सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा किया गया यह सेवा कार्य सराहनीय है। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्ण बिहारी जायसवाल ने कहा कि सेवा भारतीय जनता पार्टी की कार्यसंस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचकर उनकी सेवा करना ही सेवा संकल्प की भावना है। एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रभारी सुरेंद्र साहू ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक सेवा और सहयोग की भावना के साथ पहुंचना है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ की ओर से

आगे भी जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रयास- जिला संयोजक योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि वृद्धाश्रम में आयोजित यह कार्यक्रम बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आत्मीयता व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है, उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एनजीओ प्रकोष्ठ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहा है और आने वाले दिनों में भी विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद- कार्यक्रम में एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संगठन प्रभारी रविशंकर शर्मा,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेश शिवहरे,जिला महामंत्री पंकज गुप्ता,सह प्रभारी रूपचंद गुप्ता,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी तीर्थ राजवाड़े, एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कमलेश शर्मा, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला सह-संयोजक सुमन कांत तिवारी, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री जय चक्रधारी, एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला सह-संयोजक राजकुमार यादव, नितिन जायसवाल सहित प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, कार्यक्रम के दौरान फल और कंबल वितरण के साथ बुजुर्गों के साथ आत्मीय संवाद भी किया गया, आयोजन का उद्देश्य सेवा और सहयोग की भावना के साथ वृद्धजनों के बीच समय बिताना तथा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना रहा।

गांधी एवं शास्त्री जयंती पर कांग्रेस ने किया महापुरुषों को नमन,श्रमिकों का सम्मान

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के आयोजन में सत्य,अहिंसा,सादगी और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को किया याद



-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़,03 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के नेतृत्व में संयुक्त रूप से जयंती समारोह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान हजारों चीक के सामने स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों का सम्मान भी किया गया,कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा,स्वच्छता,सद्भाव और समानता के विचारों तथा लाल बहादुर शास्त्री के सादगी, ईमानदारी,कर्तव्यनिष्ठा और 'जय जवान, जय किसान' के संदेश को स्मरण किया।

दोनों महापुरुषों के योगदान को किया याद-जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता की दिशा में नेतृत्व प्रदान किया,जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी,

श्रमिकों को बताया समाज की मजबूत नींव

रफीक मेमन एवं सुरेंद्र पाल माखीजा ने संयुक्त रूप से कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश को नई दिशा दी,जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सरल जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण से देशवासियों को प्रेरित किया। दोनों महापुरुषों के विचार समाज में प्रेम,भाईचारे और समानता की भावना को मजबूत करते हैं। बलबीर सिंह एवं चुन्नु त्रिपाठी ने कहा कि गांधी और शास्त्री ने समाज के हर वर्ग के सम्मान तथा देशहित को प्राथमिकता दी,श्रमिक समाज और देश की प्रगति की मजबूत नींव हैं। उनका सम्मान उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। रूमा चटर्जी एवं निर्मला चतुर्वेदी ने कहा कि गांधी के सत्य,अहिंसा और स्वच्छता के विचार तथा शास्त्री की सादगी,ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा आज भी मार्गदर्शक हैं,सभी को उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम की,उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है,श्रमिकों का सम्मान उनके श्रम और योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम है,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सीरव मिश्रा ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचार आज भी समाज और देश को दिशा देने वाले हैं,गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया,वहीं शास्त्री ने सादगी, अनुशासन

एकता और सद्भाव को मजबूत किया जाए। रुक्मणी खोपरगढ़ एवं दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि गांधी और शास्त्री का जीवन त्याग,सादगी,संचय और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता है,उन्होंने हमेशा देश और समाज के हित को प्राथमिकता दी। शरण सिंह एवं टीपी सिंह ने कहा कि गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर श्रमिकों का सम्मान महापुरुषों के विचारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है।

बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रहे मौजूद-कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रवि जैन, गोपाल गुप्ता,नीलिमा श्यामल,अभिषेक वर्मा, व्यंकटेश सिंह,नेहिल शुक्ला,शुभम सिंह, भावेश जैन,ममता रजक,अजीत सिंह, रामगोपाल यादव,संजय यादव,के.डी.,संतोष वर्मा,चंद्रमणि,देव,कृष्ण चौधरी, सुलेमान खान,साबिर खान एवं सौनू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि,कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कांग्रेसजनों ने महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा तथा लाल बहादुर शास्त्री के सादगी,ईमानदारी और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर रिलीज अब पत्रकार बन अवैध रेत खनन पर्दाफाश करने निकलीं एक्ट्रेस



शक के बाद परिणीति चोपड़ा अब ध्रुव त्रिपाठी के निर्देशन में बनी अपकॉमिंग फिल्म रिपोर्टिंग लाइव में नजर आएंगी,जिसका ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा एक पत्रकार की भूमिका में नजर आने वाली है।

परिणीति चोपड़ा पिछले दिनों शक को लेकर चर्चा में थीं,जिसमें उन्होंने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई थी, जिसके बच्चे का जन्म के बाद अपहरण हो जाता है। इस सीरीज में परिणीति के अभिनय की जमकर तारीफ हुई। अब इस सीरीज के बाद परिणीति एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर में नजर आने वाली हैं, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है। परिणीति चोपड़ा अब इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर अब आ गया है। ध्रुव त्रिपाठी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अवैध रेत खनन पर आधारित है और फिल्म में एक रिपोर्टर और उसके कैमरामैन की कहानी देखने को मिलेगी,जिन्हें एक दुखद घटना की जांच के दौरान एक खौफनाक सच्चाई का पता चलता है।

रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर रिलीज
मेकर्स ने हाल ही में रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर जारी किया है। 2 मिनट 2 सेकंड लंबे इस ट्रेलर की शुरुआत एक जानलेवा घटना के साथ होती है, जो एक महत्वाकांक्षी रिपोर्टर संस्था और उसके कैमरामैन विनोद का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। फिल्म में पत्रकार की भूमिका में परिणीति चोपड़ा और कैमरामैन के रोल में देवेन भोजानी नजर आएंगे। दोनों अवैध रेत खननसे जुड़ी दुखद घटना की जांच में लगे होते हैं और जैसे-जैसे वह मामले की गहराई में जाते हैं और

ताकतवर लोगों से सवाल-जवाब करते हैं, हालात खतरनाक हो जाते हैं। हर एक जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है,जिससे दोनों और अधिक जोखिम में फंसेते जाते हैं।

रिपोर्टिंग लाइव : कास्ट और प्रोडक्शन की जानकारी

रिपोर्टिंग लाइव सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें परिणीति चोपड़ा,देवेन भोजानी,अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी मिहिर जाधव और ध्रुव त्रिपाठी ने लिखी है। पाथं किरण ठाकुर और जोशुआ शिरसाथ इसके प्रोड्यूसर हैं।

परिणीति चोपड़ा और देवेन भोजानी का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में नेटफ्लिक्स की थ्राइम थ्रिलर शक- ट्रस्ट नो वन में नजर आई थीं,जिसमें सोनी राजदान, जैनफर विंगेट,अनूप सोनी और सुमीत व्यास जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। वहीं दूसरी ओर, देवेन भोजानी आखिरी बार जमनादास मजठिया के कॉमेडी सिटकॉम चुंबक में नजर आए थे,जिसमें नीना गुप्ता,मानसी पारेख,सुमीत व्यास, सुमीत राघवन और अन्य कलाकार शामिल थे।



हवा में इमरजेंसी के दौरान कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सिर्फ भारत में ही नहीं दुनियाभर में तारीफ हो रही है। बॉलीवुड सितारे भी स्मित मच्छर की बहादुरी को सलाम करते नहीं थक रहे। शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक कई हस्तियों ने पायलट की सराहना की है।

फ्लाईटदुर्घा की एक फ्लाइट में हवा में हुई एक डरावनी घटना के दौरान,भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने जिस तरह अपनी हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया,जिसके लिए उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अपने साहस और वीरता के लिए उन्हें पूरी दुनिया से तारीफें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्मित मच्छर की बहादुरी को सलाम कर चुके हैं। दुर्घा से तेल अवीव जा रही फ्लाइट को फ्रेश कराने की कोशिश को मच्छर ने सिर्फ नाकाम ही नहीं किया, बल्कि उन यात्रियों की भी जान बचाई जो इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। उनकी इस बहादुरी की तारीफ देश भर के नेताओं, मशहूर हस्तियों और आम लोगों ने की है। शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह, विकी कौशल, रवीना टंडन,

ने भी कैप्टन की बहादुरी की तारीफ की है। **शाहरुख खान ने की स्मित मच्छर की तारीफ** शाहरुख खान ने स्मित मच्छर की बहादुरी को सलाम करते हुए एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा-कैप्टन स्मित मच्छर,जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मजबूती से डटे रहे!! मुश्किल हालात का सामना करना और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना आसान नहीं होता... लेकिन आपने जहाज पर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ठीक यही किया और हमें दिखाया कि एक कैप्टन होने का क्या मतलब होता है। यह हिम्मत और कर्तव्यनिष्ठ की एक सच्ची मिसाल है। आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, देश को आप पर गर्व है। सलमान खान बोले-कमाल कर दिया पायलट जी बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने भी भारतीय पायलट स्मित मच्छर की वीरता और साहस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कैप्टन स्मित मच्छर को उनकी बहादुरी के लिए सलाम किया और लिखा,कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं, आपके साथ उड़ान भरने में खुशी होगी...शाबाश भाई..

किसी को नहीं छोड़ूंगा,जाह्नवी कपूर संग मॉर्फ़ड एआई वीडियो देख जूनियर एनटीआर का पारा हुआ हाई,बोले...ये धिनौना और शर्मनाक है...

जूनियर एनटीआर ने जाह्नवी कपूर के साथ अपने मशहूर गाने चुड़ामले के एआई-मॉर्फ़ड वीडियो को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और इस वीडियो को धिनौना और शर्मनाक बताया है। एक्टर ने इस वीडियो के पीछे शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अब अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। एक्टर ने इस पोस्ट के जरिए देवरा: पार्ट 1 में जाह्नवी कपूर के साथ अपने मशहूर गाने चुड़मले के विजुअल्स में छेड़छाड़ करके बनाए गए एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मॉर्फ़ड और एआई जनरेटेड वीडियोज को धिनौना

बताते हुए वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वालों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ-साफ शब्दों में कहा है कि वह इस वीडियो के पीछे और इसे फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं।

मॉर्फ़ड एआई जनरेटेड वीडियो पर जूनियर एनटीआर भड़के

जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस विलप पर प्रतिक्रिया देते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वीडियो को धिनौना और शर्मनाक बताते हुए, एक्टर ने सवाल उठाया कि किसी आखिर महिला से जुड़े ऐसे गलत और अपमानजनक कंटेंट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।

जूनियर एनटीआर की चेतावनी

एक्टर ने मॉर्फ़ड वीडियो के पीछे के लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा- धिनौना, बीमार मानसिकता वाला और शर्मनाक। जिस देश में महिलाओं को मां का दर्जा दिया जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है, एक ऐसा देश जहां मातृदेवी भग्न सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, वहां कुछ लोग इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि वे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक महिला का बहुत ही अपमानजनक तरीके से अनादर कर रहे हैं।हू का इस्तेमाल करके ऐसी धिनौनी चीज बनाना बेहद शर्मनाक और दुःखद है।

शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक,कैप्टन स्मित मच्छर का कायल हुआ बॉलीवुड, सलमान खान बोले... कमाल कर दिया पायलट जी

सोनम कपूर, कंगना रनौत और अन्य सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों

ने भी कैप्टन की बहादुरी की तारीफ की है।

शाहरुख खान ने की स्मित मच्छर की तारीफ शाहरुख खान ने स्मित मच्छर की बहादुरी को सलाम करते हुए एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा-कैप्टन स्मित मच्छर,जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मजबूती से डटे रहे!! मुश्किल हालात का सामना करना और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना आसान नहीं होता... लेकिन आपने जहाज पर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ठीक यही किया और हमें दिखाया कि एक कैप्टन होने का क्या मतलब होता है। यह हिम्मत और कर्तव्यनिष्ठ की एक सच्ची मिसाल है। आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, देश को आप पर गर्व है।

सलमान खान बोले-कमाल कर दिया पायलट जी बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने भी भारतीय

पायलट स्मित मच्छर की वीरता और साहस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कैप्टन स्मित मच्छर को उनकी बहादुरी के लिए सलाम किया और लिखा,कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं, आपके साथ उड़ान भरने में खुशी होगी...शाबाश भाई..

कैप्टन स्मित मच्छर।

धुरंधर स्टार रणवीर सिंह का स्मित मच्छर को सलाम धुरंधर स्टार रणवीर सिंह भी खुद को स्मित मच्छर की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ करते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ बैकग्राउंड में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 का मशहूर गाना जान से गुजरते हैं इस्तेमाल किया। कैप्टन में उन्होंने लिखा,कैप्टन करंजियस (साहसी कैप्टन) इसके साथ उन्होंने सैल्यूट और भारतीय झंडे वाले लोगो भी लगाए। विकी कौशल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा,ब्रेवहार्ट! कैप्टन स्मित मच्छर।

सनी देओल और सनी देओल का पोस्ट

सनी देओल ने अपने एक्स पर लिखा,कैप्टन स्मित मच्छर, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी,तब आपने असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाई। आपने एक बड़ी दुर्घटना को टालने और लोगों की जान बचाने में मदद की। आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सलाम। सुनील शेट्टी ने लिखा, बहादुरी अक्सर खामोश होती है,लेकिन कभी भुलाई नहीं जाती। कैप्टन स्मित मच्छर और उन सभी लोगों ने, जिन्होंने मुश्किल समय में हिम्मत दिखाई,अद्भुत संयम, सूझ-बूझ और साहस का परिचय दिया। गहरा सम्मान। सच्चा सलाम।

खेल-समाचार

फाईनल मैच में भारत पाकिस्तान पर पड़ा भारी

टी 20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ कारनामा

नागोया, 03 अक्टूबर 2026। एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच में ऐसा कुछ हुआ, जो इससे पहले दोनों टीमों के बीच कभी नहीं हुआ था। पहली बार दोनों टीमों ने मिलकर 400 से अधिक रन बना दिए हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 में खेला गया गोल्ड मेडल मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पाकिस्तान को भले ही 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि टीम ने आखिरी ओवर तक लगातार संघर्ष किया और हिम्मत नहीं हारी। जीत के बाद जहां टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया,वहीं पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिला है। इस बीच भारत और पाकिस्तान ने



मिलकर पहली बार किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में 400 से अधिक रन बना लिए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों टीमों ने साल 2012

का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारत ने गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रन से हराया

अमन सहरावत का भारत को तोहफा : कुश्ती में जीता गोल्ड

नागोया, 03 अक्टूबर 2026। भारत के अमन सहरावत ने एशियाई खेल 2026 में पुरुषों के 57 किग्रा कुश्ती फाइनल में मौजूदा चैंपियन हान चोंग-सोंग को 11-7 से हराकर अपने मेडल कलेक्शन में एक और गोल्ड मेडल जोड़ा। अमन ने नागोया सिटी इनाए स्पोर्ट्स सेंटर में नॉर्थ कोरियाई पहलवान के खिलाफ एक उत्तर-चढ़ाव भरे फाइनल में शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। मुकाबले के दूसरे हाफ में भारतीय पहलवान 6-1 से आगे थे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन ने तीन दू-पॉइंटर मूव्स के साथ वापसी करते हुए 7-6 की बढ़त बना ली। समय खत्म होने के करीब था, तभी अमन ने एक टेकडाउन और फिर एक रोल से चार पॉइंट हासिल किए। नॉर्थ कोरियाई पहलवान ने पॉइंट्स के लिए चुनौती दी लेकिन सफल नहीं हो सके;उन्हें एक पॉइंट का नुकसान हुआ जिससे अमन की बढ़त 11-7 हो गई। भारतीय पहलवान ने आखिरी 30 सेकंड तक अपनी बहुत बनाए रखी और गोल्ड मेडल जीत लिया। इससे पहले सुजीत कलकल ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। 1978 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में दो



गोल्ड मेडल जीते हैं। अमन पहले से ही ओलंपिक मेडलिस्ट हैं; उन्होंने पेरिस गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 2023 हांगो गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब अपने मेडल का रंग बेहतर किया है। एशियाई खेलों में भारत का डबल गोल्ड पुरुष टीम भी बनी चैंपियन अमन सेमीफाइनल में वापसी करने हुए जीत हासिल करके फाइनल में पहुंचे थे। भारतीय पहलवान ने दिन की शुरुआत जापान के यामातो ओगावा पर 20-9 की १%टैक्निकल सुपेरियरिटी वाली जीत के साथ की और फिर क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदानत ऐतानोव को 12-1 से हराया।

भारतीय मेंस हॉकी टीम ने रचा इतिहास

मलेशिया को 5-1 से हराकर जीता गोल्ड मेडल **नागोया,03 अक्टूबर 2026।** एशियन गेम्स में मेंस हॉकी के फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से हुआ। इस मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को एकतरफा अंदाज में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2026 में भारत और मलेशिया के बीच मेंस हॉकी का फाइनल मैच खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में पहली बार हुआ है जब भारत की मेंस और पुरुष टीम दोनों ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2028 में होने वाले लॉस एंजेलिस ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर लिया है। इस मुकाबले में भारतीय हॉकी प्लेयर्स ने पहले, दूसरे, तीसरे क्वार्टर में गोल किए। वहीं मलेशिया की तरफ से एकमात्र गोल पहले क्वार्टर में आया था

भारत ने शुरुआत में मलेशिया पर बनाया दबाव
भारत ने मैच की शुरुआत से ही मलेशिया पर दबाव बनाने की कोशिश की। शुरुआती कुछ मिनटों में भारतीय टीम थोड़ा संचलकर और बचाव करते हुए खेली, लेकिन जल्द ही उसने आक्रामक हमले करने शुरू कर दिए। भारत को पहले एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे वे गोल में नहीं बदल सके। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद भारत को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला और 11वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी; ठीक तीन मिनट बाद मलेशिया के खिलाड़ी शेले सिलवेरियस ने शानदार मैदानी गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। **दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने किया अटैक**



दूसरे क्वार्टर में मलेशिया का खेल बदला हुआ दिखा और उसने ज्यादा आक्रामक होकर खेलना शुरू किया। लेकिन भारत को सही समय पर पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और 23वें मिनट में जुगराज सिंह ने इसे गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिला दी। इसके बाद मलेशिया ने बराबरी करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन भारतीय टीम ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और हाफ टाइम तक अपनी इस बढ़त को बनाए रखा। हाफ टाइम तक टीम इंडिया 2-1 से आगे थी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने किया एक गोल तीसरे क्वार्टर में भारत को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन टीम शुरुआत में उनका फायदा नहीं उठा सकी। पहले जुगराज पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने से चूक गए और फिर नीलकांत भी मैदानी गोल नहीं कर पाए। इसके बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी गोल नहीं दाग सके। इसके तुरंत बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत ने जब शॉट मारा, तो मलेशियाई खिलाड़ी से टकराकर गेंद रुक गई, जिस पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। 42वें मिनट में हार्दिक सिंह ने इस मौके को भुनाया और गोल करके भारत का स्कोर 3-1 कर दिया।



हांगकांग सिवसज़ में मचेगा धमाल भारत समेत 12 टीमों में जंग

हांगकांग,03 अक्टूबर 2026। दुनिया के सबसे तेज और रोमांचक क्रिकेट फॉर्मेट में शामिल हांगकांग सिक्ससज़ एक बार फिर क्रिकेट प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। हांगकांग सिक्ससज़ 2026 का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक टिन क्रॉग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में किया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कुल 12 अंतरराष्ट्रीय टीमों हिस्सा लेंगी। छह खिलाड़ियों और छह ओवर के इस खास फॉर्मेट में एक बार फिर चौके-छकों की भारिश देखने को मिल सकती है।इस साल टूर्नामेंट को हांगकांग की 'जेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स कमिटी' की ओर से आधिकारिक 'रू मार्क' का दर्जा भी मिला है। यह दर्जा हांगकांग में आयोजित होने वाले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को दिया जाता है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मरिसतेला केरकेट्ट पति ज्योति कुमार टोप्पो आयु 40 वर्ष, निवासी- ग्राम ठाकुरपुर था नांघीनगर तहसील अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छगग0) का उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूं। कि मेरे आधार कार्ड क्रमांक 672402013736 में मेरा नाम मरिसतेला टोप्पो अंकित है। जो कि गलत है। मेरे सम्पत्त शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा सही नाम मरिसतेला केरकेट्ट अंकित है जो सत्य एवं सही है जिसके समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र निम्नादित है ।

समर्थकर्ता
मरिसतेला केरकेट्ट

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी भटगांव,तहसील भटगांव

रा.प्र.क्र.,ब-121/2025-26
ईश्वरहार

 आम जनता ग्राम चुनगड़ी को सूचित किया जाता है कि आवेदिका गोलकुंवर पति स्व० शिवनारायण जाति रजवार निवासी ग्राम चुनगड़ी तहसील भटगांव जिला सूजपुर द्वारा अपने पति स्व० शिवनारायण का मृत्यु दिनांक 20/01/1990 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शमथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आशेष हो तो वह अपना आशेष दिनांक 07/10/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आशेष पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तदनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी। आज दिनांक 23/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।
कार्यपालक दण्डाधिकारी भटगांव
(सिल) जिला-सूरपुर,छगग0

छत्तीसगढ़ कैडर के आईएफएस अफसर और पत्नी का विवाद सार्वजनिक

पत्नी ने वीडियो जारी कर लगाए प्रताड़ना के आरोप, अधिकारी बोले-वेबुनियाद आरोप,कोर्ट में की शिकायत

रायपुर,03 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ कैडर के 2014 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी पंकज सिंह राजपूत और उनकी पत्नी अर्पिता सिंह के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब सार्वजनिक हो गया है। अर्पिता सिंह ने वीडियो जारी कर पति, सास, ससुर पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पति पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और नाबालिग बेटे के साथ अनुचित व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। अर्पिता सिंह ने वीडियो में कहा कि उन्हें ससुराल पक्ष की ओर से सामाजिक और आर्थिक रूप से भी परेशान किया गया। उन्होंने अपने साथ



हुई बातों को सार्वजनिक करते हुए अपनी स्थिति बताई। इसके बाद मामला चर्चा में आया और अधिकारी पंकज सिंह राजपूत ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। पंकज सिंह राजपूत ने पत्नी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद करीब पांच साल से अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि यह निजी और न्यायालय से जुड़ा मामला है, जिसे सार्वजनिक मंच पर उठाना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बच्चे के अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। पंकज राजपूत ने बताया कि वीडियो जारी किए जाने के मामले में उन्होंने कोर्ट में शिकायत दी है। उनका आरोप है कि इस तरह वीडियो जारी कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं और मामले से जुड़े विवाद पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

बजरंग दल बोला...लातों के भूत बातों से कैसे मानेंगे...गरबा को इवेंट बनाया तो करेंगे

विरोध,गैर-हिंदुओं की एंटी पर रोक समेत 14 मांगों



रायपुर,03 अक्टूबर 2026। नवरात्रि में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर बजरंग दल ने आयोजकों को चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि गरबा धार्मिक आयोजन हैं,इसलिए इन्हें सिर्फ मनोरंजन या इवेंट का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। रायपुर जिला संयोजक भूपण साहू ने कहा कि गरबा आयोजनों में धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आयोजकों ने इसका पालन नहीं किया तो संगठन इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से कैसे मानेंगे हमें अच्छे से पता है। उन्होंने गैर-हिंदुओं की एंटी पर रोक समेत सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े 14 बिंदुओं को लेकर जिला प्रशासन से गरबा समितियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है। बजरंग दल ने जिलाधीश को दिए आवेदन में गरबा पंडालों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। संगठन ने प्रवेश और निकास की अलग व्यवस्था,पहचान पत्र की जांच,सुरक्षा जांच,सीसीटीवी कैमरे और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की है। साथ ही शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था करने को कहा है। संगठन का कहना है कि अगर गरबा पंडाल में छेड़छाड़,अभद्र व्यवहार या किसी तरह का विवाद होता है तो आयोजक खुद कार्रवाई न करें, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचना दें। आवेदन में कहा गया है कि गरबा कार्यक्रमों में धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अश्लील या आपत्तिजनक गतिविधियों, नारे और गानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही आयोजकों से कहा गया है कि किसी विवाद की स्थिति में खुद कानून हाथ में न लें और न ही भीड़ से किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें।बल्कि तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दें। इसके अलावा गरबा पंडालों में आग से बचाव के इंतजाम, बिजली की सुरक्षा,इमरजेंसी एग्जिट,प्राथमिक उपचार और भीड़ को संभालने की व्यवस्था रखने की भी मांग की गई है।

रायपुर में ट्रांसपोर्ट-कारोबारी का अपहरण : स्कॉर्पियो में आए 3 बदमाश गाड़ी में जबरन बिठाया, यूपी में पकड़ा आरोपी,ट्रक के पैसों को लेकर था विवाद



रायपुर,03 अक्टूबर 2026। रायपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी प्रतीक राय के अपहरण के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों को यूपी के मिर्जापुर से पकड़ा गया है। रायपुर से अपहरण के बाद आरोपी प्रतीक राय को लेकर उत्तर प्रदेश की ओर भागे थे। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी सर्विलांस की मदद से काले रंग की स्कॉर्पियो को ट्रेस किया। गाड़ी के मिर्जापुर की तरफ जाने पर यूपी पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद अहमौरा से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में कारोबारी के अपहरण के पीछे वाहन और पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक, 2 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे प्रतीक राय की पत्नी अनिता राय ने खमतराई थाने में सूचना दी कि उनके पति घर वापस नहीं आए हैं और उनका मोबाइल भी बंद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने डीएम टावर और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में पता चला कि उसी दिन दोपहर करीब 2:28 बजे तीन युवक प्रतीक को जबरन काले रंग की यूपी नंबर की स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर ले गए थे।

9वीं की छात्रा को नशीला इंजेक्शन लगाकर गैंगरेप...बोली- बेल्ट से पीटा, होश आया तो कपड़े उतारे मिले,प्राइवेट पार्ट,कमर में दर्द था

मुंगेली,03 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि, दो लड़कों ने उसे रास्ते से जबरन उठाकर बेल्ट से पीटा, फिर नशीला इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। होश आने पर उसके कपड़े उतारे हुए मिले। प्राइवेट पार्ट और कमर में दर्द होने लगा। मारपीट के कारण हाथ में दर्द होने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी सहायक निरीक्षक धुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना जहागांव थाना क्षेत्र की है।

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या

प्री-एसआईआर सूची से मौजूदा वोटर लिस्ट का होगा मिलान,छूटे-नए मतदाताओं के नाम जोड़ने चलेगा विशेष अभियान

रायपुर,03 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों और पहली बार वोट देने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूदा मतदाता सूची का प्री-एसआईआर सूची से मिलान करेंगे। इसमें उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पहले की सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं हैं। इसके बाद बीएलओ घर-घर पहुंचकर संबंधित मतदाताओं की स्थिति का सत्यापन करेंगे।



पात्र पाए जाने पर फॉर्म-6 के जरिए नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। आयोग ने बीएलओ को हर सप्ताह

कम से कम 20 से 25 ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने और करीब एक महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकेगा छत्तीसगढ़ : SING फोरम 2026 में भाग लेने सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर,03 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य में निवेश की नई संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से आज सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ को नमित किया गया है। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ को अपनी उपलब्धियों, विकास की अपार संभावनाओं और निवेश के आकर्षक अवसरों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष



प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री साय SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की ओर से सहभागिता करेंगे। फोरम के दौरान आयोजित CEO राउंडटेबल में वे सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों एवं

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लब्ध अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन,सुदृढ़ अधोसंरचना,कुशल मानव संसाधन तथा उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री साय की SING फोरम 2026 में सहभागिता वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

पूर्व मंत्री की अफसर को धमकी-दिखता तो गाड़ देता वो जानता नहीं Who is अजय चंद्राकर,किसानों की समस्या पर भड़के,कांग्रेस बोली...इलाज कराएं

धमतरी,03 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वे किसानों के लिए खेत में पानी छोड़ने को लेकर एक अधिकारी से फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक अधिकारी के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। फोन पर बात करते हुए उन्होंने दूसरे अधिकारी से कहा, 'शर्मा जी दिखता तो वहीं पर गाड़ देता। वो जानता नहीं, हू इज अजय चंद्राकर...कुल तो वो रीटायर होगा। चंद्राकर है कोई। ऐसे लोगों को मत भेजा करो, जो प्रशासन की छवि खराब करें। अब किसी को भेजना नहीं है, साहब। पानी छोड़ना।' बताया जा रहा है कि किसानों की परेशानी को लेकर उन्होंने पानी छोड़ने में देरी पर नाराजगी जताई



थी। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल से बाहर रहने के बाद चंद्राकर फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्हें एम्स जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, मगरलोड क्षेत्र के परेवाडीह गांव के किसानों को फसल के लिए पानी की जरूरत थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, बारिश के बाद खेतों में

जमा पानी भी बह गया था। इसके अलावा नहर का एक हिस्सा टूट गया था। ग्रामीणों का कहना है कि नहर की मरम्मत के दौरान पर्याप्त मिट्टी नहीं डाली गई, जिससे पानी कम छोड़ा जा रहा था। मगरलोड जनपद अध्यक्ष वीरेंद्र साहू के मुताबिक, करीब 100 एकड़ फसल के लिए पानी की जरूरत थी। इस समस्या की शिकायत जिला पंचायत में की गई थी।

इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने सिंचाई विभाग से बात की और एक जिम्मेदार अधिकारी को गांव भेजा गया था।

पानी की समस्या बताई तो भड़के : ग्रामीणों के अनुसार, इसी दौरान अधिकारी की ओर से उन्हें 'नेतागिरी' करने की बात कही गई। 29 सितंबर को ग्राम परेवाडीह में सीआरपीएफ जवान के अंतिम संस्कार में विधायक अजय चंद्राकर पहुंचे थे। वहां उन्हें किसानों की पानी की समस्या के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को फोन कर पानी छोड़ने की बात कही। वायरल वीडियो में इसी बातचीत के दौरान विधायक अधिकारी से पानी छोड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं।

रायपुर में 1400 लीटर अवैध डीजल

जब्त...7 इमों में भरकर ले जा रहा था आरोपी,पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

रायपुर,03 अक्टूबर 2026। रायपुर में खमतराई पुलिस ने बड़ी मात्रा में डीजल के अवैध परिवहन का मामला पकड़ा है। पुलिस ने एक टाटा इंद्रा वाहन से 7 इमों में भरा करीब 1400 लीटर डीजल जब्त किया है। इस मामले में वाहन ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने डीजल और वाहन समेत करीब 6.40 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक, खमतराई पुलिस की टीम इलाके में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भनपुरी की तरफ से खमतराई की ओर एक मेटाडोल वाहन में बड़ी

मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल लाया जा रहा है। पुलिस टीम ने बताया गए वाहन की तलाश शुरू की। घेराबंदी कर टाटा इंद्रा वाहन क्रमांक CG04UN/ 7617 को रोककर तलाशी ली गई। वाहन की जांच के दौरान उसके पीछे 7 बड़े लोहे के ड्रम रखे मिले। पुलिस के अनुसार, प्रत्येक ड्रम में करीब 200 लीटर डीजल भरा था। इस तरह कुल करीब 1,400 लीटर डीजल बरामद किया गया। पूछताछ में वाहन ड्राइवर ने अपना नाम विजेन्द्र सिंह यादव (50) बताया।आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है।

हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना,आबकारी कमिश्नर-अपर आयुक्त को नोटिस हेड कॉन्स्टेबल को सर्विस रिकॉर्ड में कम अंक मिले,दोबारा विचार के दिए थे निर्देश

बिलासपुर,03 अक्टूबर 2026। हाईकोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं करने के मामले में आबकारी विभाग के कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। बिलासपुर के मंगला निवासी मुकेश कुमार शर्मा जांजगीर-चांपा जिले में आबकारी विभाग में प्रधान आरक्षक हैं। उन्होंने आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए हुई विभागीय परीक्षा में हिस्सा लिया था।



सर्विस रिकॉर्ड (एसीआर) के 15 अंक कम मिलने की वजह से वे परीक्षा में पास नहीं हो सके। मुकेश ने इस मामले को लेकर अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के जरिए

हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना था कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के एसीआर में उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गईं, लेकिन इससे पहले उन्हें

न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला।

90 दिन में मामले पर दोबारा विचार का आदेश : मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों का हवाला देते हुए विभाग को मुकेश के मामले पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अन्य एसीआर के आधार पर मामले पर 90 दिनों के भीतर फिर से निर्णय लेने को कहा था। मुकेश का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद करीब 9 महीने बीत गए, लेकिन विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

कोर्ट ने पूछा- कार्रवाई क्यों न की जाए? अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान मुकेश की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 90 दिनों की तय समय-सीमा बीत चुकी है,लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ।

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम,1971 के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।